### न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क-242/2015</u> <u>संस्थित दिनांक- 09.09.2015</u>

मध्यप्रदेश	राज्य	द्वारा
आरक्षी के	न्द्र चंद	देरी
जिला अश	गोकनग	ार ।

	$\sim$	•		
अ	H	य	J	नि

#### विरुद्ध

- 1. आशाराम पुत्र अज्जी अहिरवार उम्र 46 साल

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 12.09.2017 को घोषित)</u>

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 323, 324/34 आरोप है कि उन्होने दिनांक 26.03.2015 को सुबह करीब 06:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम पाडरी में फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी सुरेश को मादरचोद की अश्लील गाली देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी सुरेश का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी सुरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी आशाराम ने फरियादी सुरेश को जमीन पर पटककर एवं आरोपी नरेश ने कुल्हाडी जो कि काटने का उपकरण है, से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उन्होंने दिनांक 26.03.2015 को सुबह करीबन 06:00 बजे फिरयादी सुरेश लैटिंग होकर अपने घर पर जा रहा था तो रास्ते में पड़ोसी आशाराम आया आकर सुरेश का रास्ता रोक लिया, जाने नहीं दिया बोला मादरचोद दिमाग खराब हो गया हैं, तेरी मां चोद दूंगा। सुरेश ने गाली देने से मना किया तो आशाराम ने उठाकर पटक दिया व नरेश कुल्हाड़ी लेकर आया और मारी जो दायी आंख के पास लगी चोट होकर खून निकल आया, दूसरी मारी जो बायी तरफ सिर में लगी, चोट आकर खून निकल आया, जमीन में पटकने से पीठ में चोट आयी, घटना के समय नत्थू, मलखान व कैलाश थे जिन्होने सुरेश को बचाया और पूरी घटना देखी। फिरयादी सुरेश द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त दिनांक को ही रिपोर्ट लेखबद्ध

कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 90 / 15 अंतर्गत धारा— 324, 323, 294, 341,34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26.03.2015 को सुबह करीब 06:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम पांडरी में फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी सुरेश को मादरचोद की अश्लील गाली देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुरेश का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
- क्या उक्त दिनांक समय व स्थान अभियुक्तगण ने फरियादी सुरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी आशाराम ने फरियादी सुरेश को जमीन पर पटककर एवं आरोपी नरेश ने कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है. से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

# विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एवं निष्कर्ष एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) सिहत नत्थू (अ0सा0—2) मलखान (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये है तथा साथ ही अपने समर्थन में चिकित्सीय साक्षी एस पी सिद्धार्थ असा 4 एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक अनिल कुमार (अ0सा0—5) के कथन भी न्यायालय में कराये गये।
- 06— फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वर्ष 2015 में 26 तारीख को चौथे महीने में वह सुबह 7—8 बजे लैटरिंग करके आकर घर पर लौट रहा था, तो उसके घर के दरवाजे के सामने आरोपीगण उसके इंतजार में खडे थे और उन्होंने उसके साथ गाली—गलौच किया था तथा घटना में आरोपीगण कह रहे थे कि तेरा दिमाग सड गया है तथा इसके बाद अभियुक्त नरेश ने उसके दायी आंख के उपर माथे पर कुल्हाडी मारी थी तथा दूसरी कुल्हाडी भी दायी आंख की तरफ कनपटी पर मारी थीं, वही दूसरे अभियुक्त आशाराम ने उसे पकड लिया था। फरियादी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 07— घटना वर्ष 2015 की होकर सुबह के समय की, स्वयं फरियादी के घर के सामने की है तथा उक्त घटना में फरियादी को अभियुक्त नरेश ने दायी आंख के उपर कुल्हाडी मारी थीं, इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत हैं तथा उपरोक्त कथनों में बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है। फरियादी के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि स्वयं घटना के तुरंत बाद घटना स्थल से पांच किलोमीटर जाकर फरियादी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 से भी होती है।
- 08— फरियादी सुरेश अहिरवार (अ0सा0—1) का घटना दिनांक 26.03.2015 को ही ६ । टना के 4 घण्टे बाद प्रातः 10:00 बजे डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसकी पुष्टि स्वयं डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर एस0 पी0

सिद्धार्थ (अ०सा०—4) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि दिनांक 26.03. 2015 को फरियादी सुरेश के चिकित्सीय परीक्षण में उनके द्वारा फरियादी के दाहिने आंख की तरफ एक फटा हुआ घाव 2 से०मी० गुणित 0.5 गुणित 0.25 से०मी० का पाया था तथा एक फटा हुआ घाव सिर के बाई ओर आक्सीपीटल भाग पर 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.25 से०मी० का पाया था तथा पीठ के छाती वाले भाग पर एक दाहिने कंधे के सामने की ओर नीलगू निशान पाये थे। डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—4) के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि फरियादी का जब चिकित्सीय परीक्षण किया गया था तो उसके कपडों पर खून के धब्बे जमा थे तथा समस्त चोटों में सूजन व दर्द था तथा उक्त चोटें 24 घ एटे के अवधि की अंदर की थी।

- 09— डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—4) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श—पी—5 से समर्थित है जिस पर डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—4) ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। अतः डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—4) की चिकित्सीय साक्ष्य एवं तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श—पी—5 से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियोजन घटना के 4 घण्टे बाद डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—4) के द्वारा फरियादी सुरेश (अ०सा0—1) के किये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के दाहिनी आंख के उपर एवं सिर के बाई ओर ऑक्सीपीटल भाग पर फटे हुये घाव की चोट व छाती एवं दाहिने कंधे पर नीलगू निशान की चोट थी।
- 10— चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के शरीर पर प्रदर्श—पी—5 के अनुसार चोटें थीं, इस तथ्य का बचाव पक्ष के द्वारा भी खण्डन नहीं किया गया। अतः ऐसे में फरियादी के शरीर पर घटना दिनांक को चिकित्सीय परीक्षण के पूर्व ही चोटें होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। बचाव पक्ष की ओर से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) के प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि क्या किसी पत्थरीली जगह पर गिरने से उक्त चोटें आना संभव है ? उक्त सुझाव पर डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) द्वारा सहमति दी गई। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ असा 4 के द्वारा दिये गये उक्त अभिमत मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) के द्वारा सुरेश (अ0सा0—1) के शरीर पर पाई गई चोटें पथरिली जगह पर गिरने से कारित हुई थी। उक्त चोटें फरियादी को किस प्रकार कारित हुई थीं इसके

लिये घटना की संपूर्ण परिस्थिति एवं साक्षियों के कथनों एवं बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

- 11— अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये शेष साक्षी नत्थू व मलखान (अ0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देते हुये पुलिस को भी घटना के संबंध में कोई कथन न देना बताया है। अतः घटना के प्रत्यक्षदर्शी नत्थू (अ0सा0—2) व मलखान (अ0सा0—3) के द्वारा पक्षविरोधी होने जाने के पश्चात् घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में एक मात्र फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) की साक्ष्य शेष बचती हैं, जिसका मूल्यांकन चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर पाई गई चोटों के संबंध में किया जाना है।
- 12— फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में घटना चौथे माह सुबह 07:00 से 08:00 की बीच की होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में घटना में घटना 08:00 बजे की होना बताया है जो कि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में उल्लेखित घटना के माह व समय से निश्चित रूप से भिन्न हैं, परन्तु कथनों घटना के माह एवं समय को लेकर फरियादी के कथनों में उक्त विरोधाभास मामूली है एवं तात्विक नही है। फरियादी सुरेश (अ०सा0—1) स्वयं एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसने स्पष्ट रूप से घटना के समय सुबह 07:00—08:00 बजे के लगभग का होना बताया है तथा वह घटना के समय लैटरिंग करके आ रहा था तथा घटना उसके घर के सामने की है, इस संबंध में फरियादी के कथन स्पष्ट व अखण्डित है।
- 13— फरियादी सुरेश (अ०सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह तो स्पष्ट रूप से बताया है कि नरेश ने उसके माथे में उसकी दाई आंख के उपर कुल्हाडी मारी दी थी। दाही आंख के उपर फटे हुये घाव की चोट होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा0—4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है परन्तु दूसरी चोट के संबंध में इस साक्षी ने विरोधाभासी कथन देते हुये दाई आंख की ओर ही कनपटी पर नरेश के द्वारा कुल्हाडी से मारना बताया है जबकि अभियोजन कहानी एवं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ

(अ०सा०–४) अनुसार उक्त चोट बाई ओर सिर के ऑक्सीपीटल भाग पर स्थित थी।

- 14— फरियादी सुरेश (अ०सा०–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी इस संबंध में विरोधाभासी कथन दिये है कि उसे आशाराम ने सबसे पहले कुल्हाडी मारी थी, जिसकी चोट से वह बेहोश हो गया था और उसे थाने पर होश आया था तथा उक्त चोट के बाद उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार एवं इस साक्षी के द्वारा पुलिस को दिये गये कथनो के अनुसार आशाराम ने कुल्हाडी से घटना में कोई मारपीट नही की। बल्कि फरियादी को मात्र उठाकर जमीन पर पटका था, जिसके संबंध में फरियादी सुरेश (अ०सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनो में कोई कथन नही दिये है अतः आशाराम ने घटना में क्या कृत्य किया इस संबंध में निश्चित रूप से फरियादी स्रेश (अ0सा0-1) के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है, जो घटना में आशाराम की भूमिका को निश्चित रूप से संदेहास्पद बनाती है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि साक्षी के कथनों में आये कुछ विरोधाभास या उसके पक्षविरोधी हो जाने के पश्चात् भी ऐसे साक्षी की साक्ष्य जितनी वह विश्वसनीय है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है तथा मात्र कुछ विरोधाभास एवं कुछ बिंदूओं पर पक्षविराधी हो जाने के बाद उसकी संपूर्ण साक्ष्य को एवं अभियोजन घटना को खारिज नहीं किया जा सकता है।
- 15— घटना के समय के पश्चात् न्यायालय में कथन देने के समय के बीच अंतर होता है तथा ऐसे अंतर में निश्चित रूप से एक व्यक्ति से घटना की रिकॉर्डिंग करके हुबहू कथन देना संभव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की घटना को देखने की दृष्टि एवं उसको मस्तिष्क में रखने की क्षमता अलग अलग होती है तथा साथ ही घटना के संबंध में दिया गया दिये गया विवरण भी इस बात से प्रभावित होता है कि साक्षी किस परिवेश से आता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वंय घ ाटना में आहत हो वह निश्चित रूप से अचानक हुई मारपीट में हर प्रहार के बारे में घटना के कई वर्षों के बाद बता पाने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को बचाने का प्रयास करता है न की यह देखने का कि कौन सा व्यक्ति किस हिथयार से शरीर के किस भाग पर उपहति कारित कर रहा है।
- 16— यह भी उल्लेखनीय हैं कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कथन देने के समय ऐसे व्यक्ति सहज न होकर

उत्तेजित रहते हैं और उनका उद्देश्य घटना को अधिक से अधिक गंभीर रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता हैं और ऐसा ही सुरेश (अ0सा0—1) ने न्यायालय में दिये गये कथनो में किया हैं। वास्तविकता में आशाराम के द्वारा कुल्हाड़ी से फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई क्योंकि यदि की गई होती तो वह निश्चित रूप से अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कथन अवश्य देता, परन्तु प्रतिपरीक्षण में आशाराम के संबंध में जो कथन सुरेश (अ0सा0—1) ने दिये हैं, उक्त कथन बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताा के द्वारा दिये गये सुझाव की प्रतिक्रिया स्वरूप दिये गये हैं और इसी कारण घटना को गंभीर बताने के लिये सुरेश (अ0सा0—1) ने बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर इस बात पर सहमति दी गई है कि आशाराम ने भी सुरेश (अ0सा0—1) को कुल्हाड़ी मारी थीं और वह उसके बाद बेहोश हो गया था, जबिक ऐसी घटना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, परन्तु इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि साक्षी सुरेश (अ0सा0—1) के द्वारा दी गई संपूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय है।

- 17— सुरेश (अ०सा0—1) ने अभियुक्त नरेश के द्वारा उसे बाई आंख के उपर कुल्हाडी मारने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दी है तथा घटना के समय एवं स्थान को लेकर भी इस साक्षी की साक्ष्य अखिण्डत हैं। चिकित्सीय साक्ष्य से भी फरियादी के बाई आंख के उपर फटे हुये घाव होने की पुष्टि हुई है। उक्त घाव की प्रकृति को देखते हुये उक्त घाव स्वःकारित होना संभव नही है। बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा है कि फरियादी को आई उक्त चोट गिरने से आई हैं परंतु एक व्यक्ति अकारण गिरने पर घटना के तुरंत बाद 5 किलोमीटर दूर थाने पर जाकर रिपोर्ट क्यों करेगा, इसका कोई स्पष्टीकरण बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं है।
- 18— फरियादी के द्वारा घटना में आई दोनों चोटें दाई ओर आंख के पास ही बताने के संबंध में फरियादी के द्वारा दिये गये कथन समय के साथ निश्चित रूप से विरोधाभासी हो सकते है परन्तु अभियुक्त नरेश के द्वारा सुबह के समय जब वह लैटरिंग से लौटकर आ रहा था तो घर के बाहर ही कुल्हाडी से दाई आंख के उपर प्रहार कर उपहित कारित की गई, इस संबंध में फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) की साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है जिससे यह प्रमाणित होता है कि नरेश ने घटना में फरियादी को कुल्हाडी से दाई आंख के उपर उपहित कारित की थीं।
- 19— अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक अनिल कुमार (अ०सा0—5) के द्वारा

प्रकरण में अभियुक्त के प्रस्तुत करने पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी प्रदर्श—पी—8 के अनुसार जप्त की जाना बताया गया है उक्त दस्तावेज को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नही दी गई। निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने नत्थू और मलखान के कथन प्रकरण के विवेचना के दौरान लिये जाना बताया है परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में अनुसंधानकर्ता अधिकारी को कथन देने से ही इन्कार किया है, परन्तु मात्र कुछ साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से प्रकरण में किया गया अनुसंधान को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

- 20— डॉक्टर डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में निश्चित रूप से बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर सहमित दी है कि सुरेश (अ0सा0—1) को आई चोटें धारदार हिथयार से आना संभव नहीं है। निश्चित रूप से फटे हुये घाव की होने से यह स्पष्ट है कि कुल्हाड़ी की धार की तरफ से फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) को उपहित कारित नहीं की गई परन्तु घटना में अभियुक्त नरेश ने कुल्हाड़ी का उपयोग किया इस संबंध में अभिलेख पर फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) की अखिण्डत साक्ष्य उपलब्ध हैं। भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध में चोट की प्रकृति की अपेक्षा किस प्रकार के हथियार से चोट कारित की गई यह देखा जाता है और यह कतई आवश्यक नहीं है कि कुल्हाड़ी के धार की तरफ से प्रहार किया जाये तभी भा0द0वि0 की धारा 324 का बनेगा। कुल्हाड़ी काटने का उपकरण है यदि उसके उपयोग से किसी भी प्रकार की उपहित कारित होती है, तो उक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में ही आयेगा।
- 21— जहां तक अभियुक्त आशाराम का प्रश्न है तो फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोई कथन न्यायालय में नही दिये है कि अभियुक्त आशाराम ने वास्तव में फरियादी सुरशे (अ०सा०—1) के साथ घटना में मारपीट कर कोई उपहित कारित की थीं। फरियादी का अपने मुख्यपरीक्षण में मात्र इतना कहना हे कि आशाराम ने उसे पकड लिया था जबिक प्रतिपरीक्षण में आशाराम के संबंध में फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) ने जो कथन दिये है कि वह अभियोजन घटना से मेल न खाने के कारण विरोधाभासी है। अतः ऐसे में आशाराम के संबंध में फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है जिसके संबंध में निश्चित रूप से फरियादी के कथनों से यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में अभियुक्त आशाराम ने घटना में उपस्थित रहकर कोई कृत्य किया भी था अथवा नहीं, जिसका लाभ अभियुक्त आशाराम को दिया

22— फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) के कथन इस संबंध में स्पष्ट नही है कि वास्तव में आशाराम ने ही फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) को गालिया दी थी। फरियादी सुरेश (अ०सा०—1) ने अपने कथनों में यह कथन अवश्य दिये है कि आरोपीगण उसे मादरचोद और बहनचोद के शब्द उच्चारित कर रहे थे, परन्तु उक्त शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से किस अभियुक्त ने किया, यह फरियादी ने स्पष्ट नहीं किया। ग्रामीण परिवेश में इस तरह के शब्दों का उच्चारण आम बोल चाल का भाग होते है जो ग्रामीण व्यक्ति अपने परिवार एवं बडों के समक्ष भी उच्चारित कर लेते हैं, ऐसे शब्दों से क्षोभ कारित हुया यह भा०द०वि० की धारा 294 में दोष सिद्धि के लिये साबित होना आवश्यक हैं।

(9)

- 23— किसी भी व्यक्ति को उच्चारित शब्दो से क्षोभ कारित हुया अथवा नहीं, यह मौखिक साक्ष्य के अपेक्षा पक्षकारों की सामाजिक स्थिति एवं घटना की पिरिश्वितियों के आधार पर एवं उक्त शब्द का उच्चारण सुनने के बाद दी गई प्रतिकिया के आधार पर निर्धारित किया जा सकता हैं वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी और अभियुक्तगण ग्रामीण पिरवेश के है जहां इस तरह के अश्लील शब्दों का उच्चारण आम बोलचाल को भाग होते है। फरियादी की साक्ष्य से कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित किये भी गये तो वास्तव में उससे फरियादी को कोई क्षोभ कारित हुआ। अभियुक्तगण ने फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जहां फरियादी को जाने का अधिकार था वहां जाने से रोका ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उक्त तथ्य को साबित करने के लिये नहीं है। महज मारपीट करने के लिये किसी व्यक्ति को रोकना भादिव की धारा 341 की परिधि में नहीं आता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294 के आरोप साबित नहीं होते हैं।
- 24— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तो युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक 26.03.2015 को सुबह करीब 06:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम पाडरी में फरियादी के घर के सामने अभियुक्त नरेश ने कुल्हाड़ी से फरियादी को दाही आंख के उपर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की थी, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि

अभियुक्तगण ने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी सुरेश को मादरचोद की अश्लील गाली देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी सुरेश का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया एवं अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है कि घटना में अभियुक्त आशाराम मौके पर था तथा उसने अभियुक्त नरेश के साथ फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आशाराम ने फरियादी को पटककर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।

25— फलतः अभियुक्त आशाराम पुत्र अज्जी अहिरवार के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 341, 323, 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त आशाराम पुत्र अज्जी अहिरवार भा०द०वि० की धारा 294, 341, 323, 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 341, 323/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम को भा०द०वि० की धारा 294, 341, 323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है वहीं अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 324 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 324 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

26—अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 27— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण के परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त नरेश के कृत्य के गंभीर परिणाम हो सकते थे, जिसको दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम को भा0द0वि0 की धारा 324 में दोषी पाते हुये 6 माह ( छः माह ) के सश्रम कारावास एवं 1000 / रूपये ( एक हजार रूपये ) के अर्थदण्ड से दिवस ) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे।
- 28— अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम का धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। अभियुक्त नरेश पुत्र आशाराम के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं अभियुक्त आशाराम पुत्र अज्जी अहिरवार के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) ( 12 ) <u>दांडिक प्रकरण क.-242/2015</u>